रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2550] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 2013/कार्तिक 13, 1935
No. 2550] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 2013/KARTIKA 13, 1935

IndiaCode

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2013

का.आ. 3322(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 1 अप्रैल, 2013 से गैर-कर फायदों के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित उपबंध करती है, अर्थात् :-

"यदि, अधिनियम में यथा परिभाषित उद्यमों के तीन प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग के अधीन आने वाला कोई उद्यम अपने मूल प्रवर्ग से किसी उच्चतर प्रवर्ग में क्रमिक रूप से विकसित हो जाता है या अधिनियम के कार्यक्षेत्र से परे हो जाता है तो वह ऐसे उच्चतर प्रवर्ग में, ऐसे क्रमिक विकास की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अपने मूल प्रवर्ग के सभी गैर-कर फायदों का उपभोग करता रहेगा"।

[फा. सं. ई 7(4)/2013]
अमरेन्द्र सिन्हा, अपर सचिव
और विकास आयुक्त (एमएसएमई)

स्पष्टीकरण ज्ञापन : प्रस्तावित अधिसूचना को तारीख 1 अप्रैल, 2013 से भूतलक्षी प्रभाव देने पर किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2013

S.O. 3322(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) (hereinafter called 'the Act'), the Central Government hereby makes the following provisions pertaining to extension of the non-tax benefits to Micro, Small and Medium Enterprises, with effect from 1st April, 2013, namely :—

"If an enterprise falling under any of the three categories of enterprises as defined in the Act, graduates to a higher category from its original category or beyond the purview of the Act, it shall continue to avail all non-tax benefits of its original category notified by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for a period of three years from the date of such graduation to the higher category".

[F. No. E. 7(4)/2013]

AMARENDRA SINHA, Addl. Secy. and
Development Commissioner (MSME)

Explanatory Memorandum : By giving retrospective effect of the proposed notification with effect from the 1st day of April, 2013, the interests of no person shall be adversely affected.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.